संख्या-67/2026/I/1366452/2026/001-71-2002-002-6-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16-06-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 मे अनुदान संख्या-31 के राजस्व मद के अंतर्गत गैर वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1173/योजना अनु0/एफ.ओ. बजट/2026 दिनांक 06.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 36000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व मद में मानक मद-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 36000.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 9000.00 लाख (रूपये नब्बे करोड़ मात्र) अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(6) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,00,00,000 (रूपये नब्बे करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050366 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 20 सहायता अनुदान-समान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-67/2026/I/1366452/2026/001-71-2002-002-6-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।